प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 22 मार्च, 2023**

विषय:- **नवसृजित जनपद-हापुड़ में विकास भवन के निर्माण कार्य में रोकी गयी 05 प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा0-13/2018/सा0-148/38-2-2018-1बी/2012, दिनांक 30-01-2018 द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित आकलित लागत रू0 1049.56 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू0 115.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-सा0-38/2018/सा0-878/38-2-2018-1बी/2012, दिनांक 22-10-2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आकलित लागत रू0 1049.56 लाख में से 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 52.47 लाख रोकते हुए शेष धनराशि रू0 99.72 लाख अवमुक्त की गयी थी।

2- आपके पत्रांक-416/बजट अनु0/सामु0वि0/2022-23 दिनांक 14-02-2023 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रोकी गयी 05 प्रतिशत धनराशि रू0 52.47 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पत्र के साथ जिला विकास अधिकारी हापुड़ के पत्र दिनांक 28.01.2023 के द्वारा जांच आख्या में कार्यदायी संस्था-यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) द्वारा नवनिर्मित विकास भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप एवं संतोषजनक होने का उल्लेख करते हुए रोकी गयी अवशेष धनराशि रू0 52.47 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत परियोजना में रोकी गयी अवशेष धनराशि रू0 52.47 लाख (रूपये बावन लाख सैंतालीस हजार मात्र) अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों/मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद/कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय/डाइवर्ट अनुमन्य नहीं होगा।

(4) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 52,47,000 (रुपये बावन लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 4515001020300 जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

संख्या-14/2023/सा0-83 (1)/38-2-2023-001-01-बी-2012-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी, हापुड़।
6- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
7- कोषाधिकारी, हापुड़।
8- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हापुड़।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
10- अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) गाजियाबाद।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।